सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण, 1948 (श०)

संख्या - 415 राँची, शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

24 जुलाई, 2025

पत्रांक-ख०भू०(आरोप)-10/2021-1304--खान निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग के आदेश ज्ञाप सं०-ख०नि०(आरोप)-05/2022/1178, दिनांक-13.06.2022 द्वारा संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में गठि जाँच समिति के जाँच प्रतिवेदन तथा निदेशक, खान से प्राप्त मंतव्य के आधार पर श्री संजीव कुमार, तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी, गढ़वा, सम्प्रति प्रभारी उप निदेशक, खान, खान निदेशालय (मु०) के विरूद्ध आरोप गठित करते हुए विभागीय संकल्प सं०-2074, दिनांक-27.12.2024 द्वारा गठित आरोपों के संबंध में विभागीय संकल्प सं०-1019, दिनांक-15.06.2023, विभागीय संकल्प विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

2. संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के जाँच अधिगम की समीक्षोपरांत श्री संजीव कुमार, तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी, गढ़वा, सम्प्रति प्रभारी उप निदेशक, खान, खान निदेशालय (मु०) के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का निस्तार करते हुए आरोप मुक्त किया जाता है ।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रनीता खलखो,
सरकार के उप सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 415 - 50